बिजनेस

टॉप गेनर
टाटा मोटर्स

पिछला बंद	493.75
कल का बंद भाव	503.65

टॉप लूजर
विप्रो

पिछला बंद	489.95
कल का बंद भाव	505.10

www.livehindustan.com

लोगों के महत्वपूर्ण द
डिजिटल स्वरूप में सुरक्षि
लिए अभी सिर्फ सरका
लॉकर सेवा चला रही है। ले
ने अब इस सेवा के विस्त
शुरू कर दी है।

मंत्रालय ने आईटी
डिजिटल लॉकर योजना
में नियम जारी किए हैं। इस
लॉकर अथॉरिटी बनाकर
सेवा प्रदाताओं के लिए खो
कही गई है। दूसरे, डिजिटल
के बदले शुल्क लगाने की
यह सेवा सरकारी लॉकर
निःशुल्क चल रही है।

डाटा सुरक्षा को खतरा न

सरकार 90 हजार टन

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

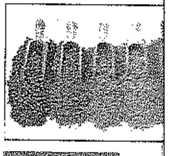

दालों की थोक कीमतों में कमी के रुझान के बीच सरकार ने 90 हजार टन दाल और आयात करने का फैसला किया है। सरकार के पास इस वक्त बफर स्टॉक में करीब चार लाख टन दाल मौजूद है। जबकि बफर स्टॉक से राज्यों को कुल 40 हजार टन दाल आवंटित की गई है।

उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव हेम पांडेय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मूल्य स्थरीकरण कोष की बैठक में विदेशों से 90 हजार टन दाल और आयात करने का फैसला लिया गया है। इनमें 40 हजार टन मसूर, 20 हजार टन अरहर, 20 हजार टन चना और 10 हजार टन उड़द की दाल शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार

में भी दाल के दाम कुछ कम

मंत्रालय के मुताबिक, ब
अभी तक 3 लाख, 96 ह
मौजूद है। जबकि राज्यों
हजार टन दाल आवंटित की
भी कई राज्यों ने अभी तक
है। केंद्र राज्यों को उड़द की द
और अरहर की दाल को 6
किलो मुहैया करा रहा है। र

महंगाई के खिलाफ ल
आगे बढ़ाएंगे पटेल : रा

मुंबई | एजेंसियां

रिजर्व बैंक के निवर्तमान गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि उनके उत्तराधिकारी उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर अंकुश के लिए जो काम शुरू किया था, उसे पटेल जारी रखेंगे।

राजन ने फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) के कार्यक्रम में कहा कि मुझे विश्वास है कि पटेल जिन्होंने मौद्रिक नीति पर पिछले तीन साल के दौरान मेरे साथ काफी नजदीकी से काम किया है, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

के हमारे मुद्रास्फीति लक्ष्य
करने के बारे में उचित तरी
निर्देशन कर सकेंगे। सरका
शनिवार को पटेल के नाम की
थी। उसके बाद से यह राजन
बयान आया है। पटेल को गव
करने के फैसले का स्वाग
क्योंकि माना जा रहा है कि इ
बैंक की नीतियों में निरंतरता
में मदद मिलेगी।

राजन का गवर्नर के रूप में
4 सितंबर को समाप्त हो रहा
कहा, हालांकि मुद्रास्फीति 6
आंकड़े को पार कर चुकी
मूल्यवृद्धि का परिदृश्य नीचे अ

जीएसटी : शुरुआती दौ
जुर्माना माफ किया जा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति के साथ बैठक से पहले औद्योगिक संगठन एसोचैम ने कहा कि वह समिति के सामने प्रस्ताव रखेगी कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने के शुरुआती दौर में अनजाने में होने वाली गलतियों पर जुर्माना नहीं लगाया जाए।

राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 30 अगस्त को औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक होनी है। राज्य वित्त मंत्रियों की समिति उद्योग मंडलों के साथ बातचीत कर उनकी चिंताओं को समझने का प्रयास करेगी। याद रहे कि इस

सुझाव

- आवश्यक तैयारियों के लि
उद्योगों को पर्याप्त समय
- एसोचैम राज्यों के वित्त मं
बैठक में मांग उठाएगा

समिति के अध्यक्ष पश्चिम बंगा
मंत्री अमित मित्रा हैं। एसोचैम के
इस कर प्रणाली को लागू कर
आवश्यक तैयारियां पूरी करने
उद्योगों को पर्याप्त समय मिल
इस दौर में अनजाने में गलती पर
चिंता को वह समिति के समक्ष

HT

एचटी मीडिया लिमिटेड

सीआईएन: L22121DL2002PLC117874
पंजीकृत कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
फोन: +91-11-66561608, **फैक्स:** +91-11-66561445
वेबसाइट: *www.htmedia.in* **ई-मेल:** *investor@hindustantimes.com*

वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और
रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

(1) कम्पनी के सदस्यों की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.), मंगलवार, **20 सितम्बर, 2016 को पूर्वा. 11.00 बजे श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003** में ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित अनुसार, साधारण और विशेष कारोबार को सम्पादित करने के लिए होगी।

ए.जी.एम. को आयोजित करने का नोटिस, साथ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 ('अधिनियम') के अधीन विवरण और वित्तीय वर्ष 2015-16 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और खाते, कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दिए गए हैं। ए.जी.एम. का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट्स और खातों के प्रेषण को **26 अगस्त, 2016** को पूरा कर लिया गया है।

ए.जी.एम. का कथित नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को 24 अगस्त, 2016 को ई-मेल द्वारा भेजी गयी है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से आलेख्यों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट यानी www.htmedia.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी ऐसा सदस्य जो नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, einward.ris@karvy.com पर कम्पनी के आर.टी.ए. को लिख सकता है।

(2) अधिनियम की धारा 91, साथ में पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 ('कम्पनी नियमों') के नियम 10, और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 ('सेबी विनियमों') के विनियम 42, का अनुपालन करते हुए, **कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर हस्तांतरण बहियां**, ए.जी.एम. में घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों की हकदारी सुनिश्चित करने हेतु, **मंगलवार, 13 सितम्बर, 2016 से मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।** भौतिक रूप से धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनके नाम मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 को सदस्यों की पंजिका में अंकित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान कथित प्रयोजन हेतु डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 108 साथ में पठित कम्पनी नियमों के नियम 20, और सेबी विनियमनों के विनियम 44 का अनुपालन करते हुए, कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (यानी ए.जी.एम. के स्थान के अलावा अन्य स्थान से किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। मैसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') को कम्पनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया ए.जी.एम. के नोटिस में वर्णित की गई है।

(क) कम्पनी के वे सदस्य जिनके पास भौतिक या डिमैटिरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी हो, 'कट-ऑफ तिथि' यानी मंगलवार, 13 सितम्बर, 2016 को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने या ए.जी.एम. में वोट डालने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वोटिंग अधिकारों की मान्यता, कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों की प्रदत्त लागत पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है इस नोटिस को केवल जानकारी प्रयोजन हेतु समझें।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 (प्रातः 9.00 बजे-सर्वर समय) से शुरू होकर सोमवार, 19 सितम्बर, 2016 (सायं 5.00 बजे-सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद कार्वी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निर्योग्य कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है तो बाद में वह सदस्य उसमें परिवर्तन करने हेतु अनुमत्य नहीं होगा।

(ग) इसके अलावा, वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं ए.जी.एम. में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उस जगह दोबारा वोट देने के लिए वे अनुमत्य नहीं होंगे।

कम्पनी ए.जी.एम. में मतदान पत्र के जरिए वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, बैठक में वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करता है, **evoting@karvy.com** में अपना अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में भी प्रदान की गई हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट तथा कार्वी की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं। यदि कोई सदस्य पहले ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म में पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न हेतु, सदस्य कृपया कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध Help & FAQ's सेक्शन पर जा सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (इकाई: एचटी मीडिया), कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 (भारत), ई-मेल आईडी: evoting@karvy.com, सम्पर्क नं.: 040-6716 2222 या टॉल फ्री नं. 1800-345-4001 में श्री श्रीकृष्णा पी., प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड

दिनेश मित्तल
ग्रुप जनरल काउन्सल एवं कम्पनी सचिव

दिनांक: 26 अगस्त, 2016